दिनांक–26.02.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग के द्वारा निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन के प्रगति की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

---

1. बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारी शामिल हुए :–
   (1) श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
   (2) श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   (3) श्री नजर हुसैन, अपर सचिव
   (4) श्री अरविंद भारती, मुख्य अभियंता, LAEO
   (5) श्री दिलीप कुमार, अधीक्षण अभियंता, दरभंगा
   (6) श्री राम देव चौधरी, अधीक्षण अभियंता, भागलपुर
   (7) श्री उमेश कुमार, अधीक्षण अभियंता, गया जी
   (8) श्री अरूण प्रकाश, अधीक्षण अभियंता, सारण

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।

3. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन के प्रगति की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

   I. राज्य में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा कुल 2000 पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक निर्मित पंचायत सरकार भवन की संख्या–553, निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन की संख्या–1248, 171 पंचायतो में चिन्हित स्थल विवादित है तथा 20 पंचायतो में भूमि अप्राप्त है। LAEO के द्वारा बताया गया कि मई 2026 तक कुल 986 (553+433) पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूर्ण हो जाएगा।

   निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है वहां निर्माण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। प्रथम चरण के पंचायत सरकार भवनों का निर्माण एक माह के अंदर पूर्ण करते हुए विधिवत हस्तांतरण करने का निदेश दिया गया।

   II. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि LAEO के द्वारा 2000 निर्माण किये जा रहे पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध मात्र 51 पंचायत सरकार भवन की प्रविष्टि पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर की गयी है, जो चिंताजनक है। निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवन की अद्यतन प्रगति पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर यथाशीघ्र प्रविष्ट करे। विभागीय संकल्प के आलोक में पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर की गयी प्रविष्टि के आधार पर ही राशि आवंटित की जाएगी।

कृ०पृ०उ०.....

प्रविष्टि नहीं होने के स्थिति में राशि Lapse होने की जवाबदेही स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) की होगी।

पंचायत सरकार भवन के स्थलीय निरीक्षण के क्रम में पाया गया है कि निर्माण कार्य में LAEO के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निर्माण स्थल पर भ्रमण कर पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा है। LAEO के मुख्य अभियंता एवं सभी अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया गया कि प्रत्येक सप्ताह पंचायत सरकार भवन का स्थलीय निरीक्षण करायें तथा संबंधित प्रतिवेदन पंचातयी राज विभाग को भेजना सुनिश्चित करें तथा कार्यपालक अभियंता एवं कनीय अभियंता को भी स्थल निरीक्षण करने हेतु मुख्य अभियंता को अपने स्तर से आदेश निर्गत करने का निदेश दिया गया। निरीक्षण/पर्यवेक्षण के अभाव में निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित होने की स्थिति में संबंधित कनीय, सहायक एवं कार्यपालक अभियंता की जवाबदेही तय की जाए तथा पंचायती राज विभाग को भी कार्रवाई संबंधित प्रतिवेदन दें।

III. विभाग के द्वारा जाँच दल गठित कर पंचायत सरकार भवनों का निरीक्षण कराया गया। जाँच दल के द्वारा दिये गये निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में विधिवत कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया। अबतक कुल 35 निरीक्षण प्रतिवेदन पर कार्रवाई हेतु भेजा गया है जिसमें से मात्र 19 का ATR (Action taken report) प्राप्त हुआ है। प्राप्त ATR के अवलोकन से प्रतीत होता है कि निरीक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्रवाई नहीं की गयी है। किसी भी पदाधिकारी या संवेदक पर कार्रवाई नहीं की गयी और ना ही निरीक्षण के क्रम में पाई गयी त्रुटियों का निराकरण किया गया है। निदेशित किया गया कि निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में पाई गयी कमियों का निराकरण करते हुए संबंधित अभियंता एवं संवेदक के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदित करें।

IV. ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण किये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक तकनीकी सहायक द्वारा तैयार 734 पंचायतों के प्राक्कलन के विरूद्ध मात्र 164 पंचायतों में ही तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो चिन्ताजनक है। निदेश दिया गया कि 10 मार्च, 2026 तक तकनीकी स्वीकृति देना सुनिश्चित किया जाए ताकि निर्माण कार्य प्रारंभ की जा सके। मुख्य अभियंता तकनीकी स्वीकृति में अनावश्यक विलंब के लिए दोषी पदाधिकारी/कर्मी को चिन्हित कर कार्रवाई करें।

V. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ₹3127.231 करोड़ रूपये की राशि के विरूद्ध LAEO के द्वारा मात्र ₹1924.00 करोड़ रूपये की उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हुआ है। निदेश दिया गया कि शेष राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अविलंब पंचायती राज विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

लगातार.....

VI. मुख्य अभियंता के द्वारा बताया गया कि योजनाओं की प्रगति एवं गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा कोई IT Solution/App विकसित नहीं किया गया है। सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा योजनाओं की Monitoring के लिए App विकसित किया गया है। सभी अभियंता को इसे अपने मोबाईल में Install करने का निदेश दिया जाय तथा इस संबंध में श्री आशुतोष कुमार, प्रोजेक्ट लीड प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करेंगें। अगले सप्ताह से सभी स्तर के अभियंता (कनीय अभियता सहित) पंचायत सरकार भवन का अनिवार्य रूप से निरीक्षण पंचायती राज विभाग द्वारा विकसित App के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगें।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाई समाप्त की गयी।

12/3/26

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग

ज्ञापांक :–9प०/प्र०–08–802(खण्ड)/2016/4268/पं०रा० पटना, दिनांक 12/3/2026
प्रतिलिपि :–सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निर्भय
12.3.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांक :–9प०/प्र०–08–802(खण्ड)/2016/4268/पं०रा० पटना, दिनांक 12/3/2026
प्रतिलिपि :–अभियंता प्रमुख, LAEO, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निर्भय
12.3.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांक :–9प०/प्र०–08–802(खण्ड)/2016/4268/पं०रा० पटना, दिनांक 12/3/2026
प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निर्भय
12.3.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांक :–9प०/प्र०–08–802(खण्ड)/2016/4268/पं०रा० पटना, दिनांक 12/3/2026
प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निर्भय
12.3.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव